565

क्रम संख्या–65

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बुधवार, 05 जुलाई, 2023 ई0

आषाढ़ 14, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 231 / XXXVI (3) / 2023 / 30(1) / 2023

देहरादून, 05 जुलाई, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मा0 राज्यपाल ने 'उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) अध्यादेश, 2023' प्रख्यापित किया है और वह उत्तराखण्ड राज्य का अध्यादेश संख्याः 04, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

566

उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 04, वर्ष 2023)

(भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम, 2020 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि उत्तराखण्ड राज्य की विधानसभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण उन्हें तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है

अतएव अब राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) अध्यादेश, 2023 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह दिनांक 27 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त समझा जायेगा।

धारा 6 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम, 2020 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात् :—

(1) शहीद के विवाहित होने की दशा में—

(क) विधवा (वीर नारी).......विहित धनराशि का 60 प्रतिशत
(ख) माता—पिता..................विहित धनराशि का 40 प्रतिशत

परन्तु यह कि यदि माता—पिता जीवित नहीं हैं तो पूर्ण विहित धनराशि रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) अथवा जो धनराशि समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, विधवा (वीर नारी) को दी जायेगी तथा जहाँ विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं है, तो विहित धनराशि रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) अथवा जो धनराशि समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, का 40 प्रतिशत माता—पिता को तथा 60 प्रतिशल सभी आश्रित बच्चों में बराबर—बराबर बाँट दिया जायेगा।

(2) ऐसी स्थिति में जहां माता—पिता तथा विधवा (वीर नारी) जीवित नहीं है, तो विहित धनराशि रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) अथवा जो धनराशि समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी; को सभी आश्रित बच्चों में बराबर—बराबर बांट दिया जायेगा।

(3) ऐसी स्थिति में जहां विधवा (वीर नारी) जीवित न हो और बच्चे भी न हों, तो सम्पूर्ण विहित धनराशि रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) अथवा जो धनराशि समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, माता—पिता को दिया जायेगा।

प्रमाणित पति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(4) ऐसी स्थिति में जहां शहीद अविवाहित अथवा विधुर हो, विहित धनराशि रूपये 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) अथवा जो धनराशि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, माता–पिता को दिया जायेगा।

धारा 8 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–
किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या निर्देश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रावधान विधि मान्य तथा प्रभावी होंगे, और इसका अध्यारोही प्रभाव होगा

नई धारा 10 का अंतः स्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित कर दी जायेगी, अर्थात :–

निरसन एवं व्यावृत्ति

10. (1) विभिन्न युद्धों व सीमान्त झड़पों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों व अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह अनुदान अनुमन्य कराये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्गत/प्रचलित समस्त शासनादेश एतद्द्वारा रद्द/निरस्त (Repealed) किये जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट शासनादेश के उपबन्धों के अधीन दिनांक 05.03.2014 के पश्चात् की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी, मानों इस अध्यादेश के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे तथा उक्त दिनांक 05.03.2014 से पूर्व उक्त शासनादेश का कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

ले.ज. गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से.नि.)
राज्यपाल उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

568

No. 231/XXXVI(3)/2023/30(1)/2023
Dated Dehradun, July 05, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**The Uttarakhand Martyr's Dependent Ex-Gratia Grant (Amendment) Ordinance, 2023 (Uttarakhand Ordinance No.04 of 2023).**

As promulgated by the Governor on 05th July, 2023.

The Uttarakhand Martyr's Dependent Ex-Gratia Grant (Amendment) Ordinance, 2023

(Uttarakhand Ordinance No. 04 Year 2023)

(Promulgated by the Governor in the seventy-fourth year of the Republic of India)

An

Ordinance

Further to amend the Uttarakhand Martyr's Dependent Ex-Gratia Grant Act, 2020

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

Whereas the Legislative Assembly of the State of Uttarakhand is not in session and the Governor is satisfied that such circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short Title and Commencement	1.	(1) This Ordinance may be called the Uttarakhand Martyr's Dependent Ex-Gratia Grant (Amendment) Ordinance, 2023 (2) Except as provided, it shall be deemed to have come into force from the date of 27 January, 2021.
Amendment of Section 6	2.	For Section 6 of the Uttarakhand Martyr's Dependent Ex-Gratia Grant Act, 2020 (hereinafter referred to as the Principal Act), the Following section shall be substituted namely:-

569

(1) In case of Martyr being married-
(a) Widow(Veer Nari) ---- 60% of the prescribed amount
(b) Parents ----- 40% of the prescribed amount
Provided that if the parents are not alive, the entirel prescribed amount of Rs.10.00 lakh (Rupees ten lakh only) or such amount as may be determined by the State Government from time to time, shall be given to the widow (Veer Nari) and where the widow (heroic woman) is not alive, the prescribed amount of Rs.10.00 lakh (Rupees ten lakh only) or such amount as may be determined by the State Government from time to time, 40 percent to parents and 60 percent shall be distributed equally among all the dependent children.

(2) In such a situation, where the parents and widow (Veer Nari) are not alive, then the prescribed amount of Rs.10.00 lakh (Rupees ten lakh only) or the amount which shall be determined by the State Government from time to time, shall be distributed equally among all the dependent children.

(3) In such situation where the widow (Veer Nari) is not alive and has no children, the entire prescribed amount of Rs.10.00 Lakhs (Rupees Ten Lakhs only) or such amount as may be determined by the State Government from time to time, shall be given to the parents.

(4) In such a situation where the martyr is unmarried or a widower, the prescribed amount of Rs.10.00 lakh (Rupees ten lakh only) or such amount as may be determined by the State Government from time to time shall be given to the parents.

Amendment of Section 8

3. For Section 8 of the Principal Act, the Following section shall be substituted, namely:-

8. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other Act or any judgment/decree/order or direction of any court, the provisions of this Act shall be valid and effective and shall have overriding effect.

Insertion of new Sections 10

4. After section 9 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:

Repeal and Savings

10. (1) All the previously issued/existing Government orders regarding grant of one-time ex-gratia grant to the widows/dependents of soldiers and paramilitary forces who were martyred in various wars, border skirmishes and internal security are hereby repealed/rescinded.

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

570

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken after 05.03.2014 under the provisions of the Government Order referred to in Sub-Section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Ordinance, as if the provisions of this Ordinance were in force at all material time and there shall be no retrospective effect of the above Government order before the above date 05.03.2014.

प्रमाणित प्रति
लोक सूचना अधिकारी
विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

LT. GEN. GURMIT SINGH,
PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd.),
GOVERNOR UTTARAKHAND.

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 21 विधायी / 260—2023—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।